**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-3210**

**दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

**हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारा**

**†3210. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हरियाणा को अतिरिक्त जल जारी करने संबंधी अपने आदेश को वापस लेने की पंजाब की याचिका को खारिज कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को बीबीएमबी द्वारा कथित रूप से तथ्यों को छिपाने या 2 मई, 2025 की बैठक के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी समस्याओं के बारे में पंजाब की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने और अंतर-राज्यीय जल आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) :** पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी-12858-2025 में सीएम-7264-सीडब्ल्यूपी-2025 में उठाए गए। दिनांक 26.05.2025 के आदेश के तहत पंजाब की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) से हरियाणा को अतिरिक्त पानी जारी करने के संबंध में अपने आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।

**(ख), (ग) और (घ) :** बीबीएमबी में भागीदार राज्यों के बीच जल वितरण, बीबीएमबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें भागीदार राज्यों के मुख्य अभियंता और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के मुख्य अभियंता सदस्य हैं। तकनीकी समिति, राज्यों की जल उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर, जल का निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण करती है। भारत सरकार को पंजाब से जल वितरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही, बीबीएमबी में भागीदार राज्यों के बीच जल वितरण में भारत सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

**********